राज्य की वार्षिक योजना बजट निर्माण के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती हैः–

क) सर्वप्रथम, ऑनलाइन योजना प्रस्तावों को सभी संबंधित विभागों से ऑनलाइन सॉफ्टवेयर (ई–वितरण) पर आमंत्रित किया जाता है।

ख) प्राप्त प्रस्तावों की जांच करने के बाद, अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) की अध्यक्षता में हर साल अक्तूबर/नवंबर के महीने में संबंधित विभागों के साथ बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की जाती है, ताकि अगले वर्ष की वार्षिक योजना के लिए उन विभागों की योजना की प्राथमिकताओं पर चर्चा की जा सके।

ग) इसके उपरान्त, विस्तृत विचार–विमर्श और परामर्श के बाद, वार्षिक योजना का आकार फिर से तैयार किया जाता है और आगामी वित्त वर्ष के लिए योजनावार व विकास वार बजट तैयार करने हेतु सम्बंधित विभागों को योजना की रूपरेखा से अवगत (ऑनलाइन) कराया जाता है। योजनावार योजना प्रस्तावों में वांछित परिवर्तन की जांच करने और उपयुक्त संशोधन करने के बाद, अगले वित्त वर्ष के बजट के लिए बजट दस्तावेज (अनुदान की मांग) में शामिल करने हेतु वित्त विभाग को सूचित किया जाता है।

घ) माननीय मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में राज्य योजना बोर्ड (एसपीबी) की वार्षिक बैठक में योजना दस्तावेज/योजना बजट बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह दस्तावेज राज्य विधानमंडल द्वारा भी पारित किया जाता है।